

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिडावा जिला झालवाड राज0

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।

महोदय  
10/11/25

निवेदन है कि ग्राम गा. दिवा जमाबंदी सं 2519-77 के खाता सं 217 में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिस्सा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/तिथीकीय चुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

भू प्रबंध खतीनी खाता सं.	भू प्रबंध खतीनी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं.	वर्तमान इन्द्राज/ चुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
		217	शम नारायण डा कंवलाल	शम नारायण पुत्र कंवलाल

- वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण
- वादी 1. शम नारायण पुत्र कंवलाल जाति मील नि. गा. दिवा
- गवाह 2. पुल्लाय पिता बाबू लाल जाति घाकड नि. गा. दिवा
- गवाह 3. मंगी लाल पुत्र शम नारायण जाति मील नि. गा. दिवा

हस्ताक्षर  
शम नारायण  
पुल्लाय  
मंगी लाल

रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम गा. दिवा के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज चुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

हस्ताक्षर पटवारी  
प० न० 2519/77

रिपोर्ट भू0अभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज चुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।

10/11/25  
भू0अभिलेख निरीक्षक  
भू0अ0नि050.2.2.201.5.2

रिपोर्ट तहसीलदार/पेरोकार सरकार

क्रमांक: राजस्व/2025/ 374

दिनांक : 10/10/25

महोदय , जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम गांधीपुरा के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

10/10/25  
तहसीलदार/नामगाव तहसीलदार  
TE- उपखण्ड पिडावा मुनेल

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/281

दिनांक : 06/11/25

वादी/प्रार्थी के ग्राम गांधीपुरा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार सुरेश की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सुरेश को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्ति कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।



Y. M.  
उपखण्ड अधिकारी पिडावा  
जिला झालावाड राज0  
पिडावा, जिला झालावाड राज0